(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....
प्र. इ. रि. स. 98/22 ..... दिनांक 25/3/2022.....
2. (अ) अधिनियम ... .धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....473.....समय.....3:00 PM.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 24.03.2022.... समय 01.44 पी.एम. .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 23.03.2022 समय.....02.10 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा पूर्व 13 किमी .....
(ब) पता – जी.एस.एस. बडलिया, एवीवीएनएल, अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री दिनेशनाथ.....
(ब) पिता का नाम श्री किशन नाथ.....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 29 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....चाय की थडी एवं पंचर निकालना .....
(ल) पता ... रेती मोहल्ला बडलिया, पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर .....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री अमर सिंह रावत पुत्र श्री तेजाराम उम्र 25 साल जाति रावत निवासी गांव खाजपुरा हताई के पास, पुलिस थाना आदर्शनगर, अजमेर हाल हैल्पर प्रथम, सेंदरिया फिडर इन्चार्ज, कार्यालय सहायक अभियन्ता (प व स) मदार, एवीवीएनएल, अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....3,000रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....3,000रू0 रिश्वत राशि ..

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..... सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रंगे हाथो रिश्वत लेते पकडवाने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं दिनेश नाथ रेति मोहल्ला बडलिया, जिला अजमेर का निवासी हूँ तथा मेरे मकान के पास ही मैने चाय की थडी एवं पंचर निकालने की दुकान खोल रखी हैं। मकान पर विधुत कनेक्शन मेरे स्वयम् के नाम था, जिसका बिल जमा नही करवाने से कनेक्शन कट गया। इसके बाद मकान व दुकान हेतु मैंने मेरे पिताजी श्री किशननाथ के नाम से कार्मशियल बिजली कनेक्शन ले रखा हैं। बिजली विभाग ने मेरे पिताजी के नाम के बिजली कनेक्शन के बिल में करीब एक माह पूर्व मेरे नाम के बिल के बकाया रूपये जोड़कर फरवरी माह का बिजली का बिल 27000 रूपये भेज दिये। इतना अधिक बिल आने पर मैने बिल जमा नही करवाया तथा श्री अमर सिंह लाईनमेन से सम्पर्क किया तो लाईनमैन अमर सिंह ने बिल आधा करवाने के नाम पर मेरे से 2000 रूपये मांगे तथा बिल जमा करवाने के नाम पर करीब 20–25 दिन पहले मेरे से 10,000रूपये ले लिये, जिसकी आज दिन तक रसीद नही दी। मैने रिश्वत नही दी तो आज अमर सिंह लाईनमेन मेरा बिजली का कनेक्शन काटने आ गया, जिस पर मैने रिश्वत के रूपये देने का आश्वासन दिया तथा बिल के शेष रूपये भी देने का आश्वासन दिया परन्तु अमर सिंह नही माना तथा कनेक्शन काट दिया। अमर सिंह अपने व बिजली विभाग के अन्य कर्मचारियो के लिए मेरा बिजली का बिल कम करवाने व बिजली का कनेक्शन वापस चालु करवाने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा हैं। मैं उसे रिवश्त नही देना चाहता हूँ कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी, (दिनेशनाथ) निवासी रेति मोहल्ला, बडलिया, जिला अजमेर मोबाईल नम्बर 9588214437

–:: कार्यवाही पुलिस पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर::–

समय 02.10 पीएम **दिनांक 23.03.2022**

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री दिनेशनाथ पुत्र श्री किशननाथ भाटी जाति नाथ (योगी) उम्र 29 साल निवासी बड़लिया, पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर ने उपस्थित कार्यालय हाकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के समक्ष पेश की। प्रस्तु प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया/ परिवादी ने

पूछने पर बताया कि ''मैं कक्षा 11 तक पढ़ा लिया हूॅ। पिंचर निकालने की वजह से मेरे हाथ मे सूजन आ रखी है, इसलिए रिपोर्ट में मेरे मिलने वाले से टाईप करवा कर लाया हूॅ। लाईमैन अमर सिंह मेरे पिताजी के नाम का बिजली का बिल कम करवाने के लिए बिल राशि के अलावा खर्चा पानी के नाम पर रिश्वत मांग रहा हैं। करीब 20–25 दिन पहले मेरे से बिल मेरे से बिल व 10 हजार बिजली विभाग मैं जमा करवाने के नाम पर ले लिये तथा रिश्वत नही दी तो आज कनेक्शन कार दिया। पहले 10 हजार दिये उसकी रसीद नही दी। आज मैने हाथाजोडी की तथा रूपये देने का आश्वासन दिया फिर भी नही माना व अमरसिंह ने कनेक्शन काट दिया और कहा कि मेरे खर्चे के रूपये तथा बिल कम करने पर शेष रूपये देने पर कनेक्शन जोड़ दूंगा। मै। अमर सिंह लाईनमैन को रिश्वत नही देना चाहता हूॅ। कार्यवाही करावें।''परिवादी ने अपने बिलो की जिनमें दिनेश नाथ के नाम का बिल दिनांक 03.02.21 व किशन नाथ का बिल दिनांक 07.01. 2 पेश किये, जिनमें बिल राशि क्रमशः 184 रूपये व 850 रूपये है प्रस्तुत किये व 27000 रूपये के बिल के बारे में बताया कि उक्त बिल अमर सिंह को दे दिया है। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरी अमर सिंह लाईनमैन से कोई रंजिश व उधार का लेन–देन नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 को बुलाकर परिवादी श्री दिनेशनाथ से आपस में परिचय करवाया जाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकलवाकर परिवादी को ऑपरेट करना समझाया तथा बताया कि वह अमर सिंह लाईनमैन के पास जाकर अपने कार्य व रिश्वत की मांग के संबंध में वार्ता करे तथा होने वाली वार्ता को वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करें। वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी व कानि0 श्री ईशाक मोहम्मद को परिवादी की स्कूटी से वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन बडलिया गांव की तरफ रवाना किया। बाद सत्यापन कार्यवही श्री ईशाक मोहम्मद व परिवादी श्री दिनेशनाथ उपस्थित कार्यालय होकर परिवादी ने वॉयस रिकार्डर प्रस्तुत कर बताया कि ''मेरी ग्राम बडलिया के पास पालरा शराब ठेके पर अमर सिंह लाईनमैन से मेरे कनेक्शन के संबंध में बता हुयी तो उसने अपने व अपने स्टॉफ वालो के खर्चे के 3000 रूपये रिश्वत के मांगे तथा 27000 रूपये के बिल मे 10 हजार रूपये पूर्व में लिये स्वीकार करते हुये 8000 रूपये बिल राशि के अलग से मांगे है।'' डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की ताईद हुयी। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 3000 रूपये एंव बिल पेटे जमा करायी जाने वाली राशि 8000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 24.03.22 को समय 10.00 एएम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 24.03.2022 समय 10.30 एएम श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आया। स्वतन्त्र गवाहान को श्री सतनाम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर परिचय प्राप्त किया। इसी दौरान हस्ब तलविदा परिवादी श्री दिनेशनाथ भी उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् निरीक्षक पुलिस मीरा बेनीवाल को अपने कक्ष मे तलब कर परिवादी, दोनो गवाहान से आपस मे परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान एवं मन् निरीक्षक पुलिस को पढवाया गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से निकालकर दोनो गवाहान एवं मन् निरीक्षक पुलिस को रिकॉर्ड सत्यापन वार्ता के अंश सुनवाये गये। तत्पश्चात दोनों गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही तो उन्होने अपनी अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मैमोरी कार्ड के मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान, बमौजूदगी परिवादी के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 से टाईप करवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्युटर की सहायता से दो डीवीडी क्रमशः अनुसंधान अधिकारी एवं आरोपी हेतु तैयार की गयी। दोनो डीवीडी को पृथक पृथक बिना शिल्ड कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी Sandisk को वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड के उसी पैकिंग कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड किया जाकर मार्क ''एम–1'' अंकित किया गया। सफेद कपडे की थैली पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये।